

पत्र संख्या-11/आ0-नी0-1-07/2016 सा0प्र0:11364

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।

पटना-15, दिनांक-4-9-17

विषय :-

राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर एवं विभिन्न क्षैतिज आरक्षण यथा-विकलांगता संबंधी 3% आरक्षण, महिलाओं को 35% आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% आरक्षण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति में बिहार अधिनियम-17/2002 द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं (डब्ल्यू0बी0सी0) हेतु 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-62 दिनांक-05.01.2007 द्वारा निःशक्ताजनों को 3%, विभागीय परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 सह पठित विभागीय संकल्प संख्या-963 दिनांक-20.01.2016 द्वारा महिलाओं को 35% तथा विभागीय परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

2. आरक्षण के उपर्युक्त प्रावधानों को किस क्रम में लागू किया जाय, इस संदर्भ में कई प्राधिकारों को कठिनाई हो रही है तथा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

3. उल्लेखनीय है कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के तहत जबकि विकलांगता आधारित 3% का आरक्षण, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2% के आरक्षण का प्रावधान क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत है एवं संगत परिपत्र/संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी हैं।

4. इस संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से परामर्श प्राप्त किया गया।

5. अतः विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न आरक्षित वर्गों की नियुक्ति की प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत पदों को भरने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-


(i) सर्वप्रथम गैर आरक्षित वर्ग खुली गुणागुण कोटि की रिक्तियों को भरते समय ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अधीन पदों को भरा जायेगा। तत्पश्चात् परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 के प्रावधानों के तहत यथास्थिति महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के अधीन खुली गुणागुण कोटि के पदों को भरा जायेगा।

(ii) आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को भरते समय सर्वप्रथम प्रत्येक आरक्षण कोटि यथा-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिला के लिए प्रावधानित ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अधीन पदों को भरा जायेगा। इसके पश्चात् प्रत्येक आरक्षित कोटि (3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण संबंधी पिछड़े वर्गों की महिला कोटि को छोड़कर) में परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 के प्रावधानों के अनुरूप यथास्थिति महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अधीन पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी।

(iii) जहाँ तक विकलांगता आधारित 3% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण को भरने का प्रश्न है इसके लिए सर्वप्रथम विकलांगता आधारित आरक्षण के अधीन पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी। तत्पश्चात् स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए प्रावधानित आरक्षण के अधीन पदों को भरा जायेगा। विकलांगता आधारित आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षण के तहत चयनित अभ्यर्थी की गणना उसी संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी, जिससे वे संबंधित होंगे।

(iv) यदि कोई अभ्यर्थी महिला, विकलांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हो, तो नियमानुसार सर्वप्रथम गैर आरक्षित वर्ग/आरक्षित वर्ग (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) के अधीन उसकी नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जायेगी। तदुपरान्त क्रमानुसार कंडिका-5(i) (ii) एवं (iii) के अधीन नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जायेगी। किसी उम्मीदवार के प्रावधान विशेष के तहत एक बार चयनित हो जाने की स्थिति में शेष प्रावधानों के अधीन अन्य उम्मीदवारों के संदर्भ में चयन की कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन



(मो० सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।